भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4128
19.03.2021 को उत्तर के लिए

कार्बनसिंक की क्षमता

4128. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्रीमती नवनित रवि राणा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कार्बन डाईऑक्साइड के समतुल्य होने के संबंध में कार्बनसिंक की वर्तमान क्षमता कितनी है;
(ख) भारत में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार वनीकरण की वर्तमान दर क्या है;
(ग) क्या उक्त दर भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) में उल्लिखित 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन के कार्बन डाईआक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त संचयी कार्बनसिंक के सृजन के लक्ष्य के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित है;
(ड.) क्या सरकार ने व्यापक वृक्षारोपण के प्रयास करने और कार्बन अवशोषण के लिए आर्द्रभूमि के लिए आर्द्रभूमि पुनरूज्जीवित करने हेतु कोई योजना बनायी है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) भारत वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2019 के अनुसार वर्ष 2015 में देश के वन और वृक्षावरण में अनुमानित कार्बन उत्सर्जन 29.62 बिलियन टन के समतुल्य कार्बनडाईआक्साइड था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत का कुल वनावरण 7,12,249 वर्ग कि.मी. और कुल वृक्षावरण 95,027 वर्ग कि.मी. है। एक साथ, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, विभिन्न वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी संस्थाओं द्वारा सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष 1.6 मिलियन हे. की औसत से वनीकरण किया गया । वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वनीकरण/वृक्षारोपण की उपलब्धियां **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) से (च) भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन के समतुल्य कार्बनडाईआक्साइड का कार्बन सिंक सृजित करने की तरफ अनेक कदम उठाए गए हैं। विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, जिनमें अन्य के साथ-साथ, राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम, वन्यजीव पर्यावासों का विकास, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना तथा दावानल नियंत्रण और प्रबंधन योजना शामिल हैं, के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि के तहत वनीकरण एक मुख्य गतिविधि है। यह प्रयास अधिक घने वनों के संरक्षण और सामान्य रूप से घने वनों के साथ ही साथ वन और वृक्षावरण की वृद्धि में सहायता करते हैं।

भारत सरकार जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को, जिसमें आठ मिशन शामिल हैं, कार्यान्वित कर रही है। यह कार्य योजना देश में सभी जलवायु प्रक्रियाओं के लिए एक अति महत्वपूर्ण नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। एनएपीसीसी के तहत, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) का लक्ष्य वन आवरण को संरक्षित करना, बहाल करना, संवर्धित करना और वन और गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करना है। वर्ष 2015-16 में आरंभ हुई, 1,67,151 हे. क्षेत्र में वनरोपण गतिविधियों सहित नमभूमि की बहाली करने के लिए चौदह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को 455.73 करोड़ की राशि जारी की गई है जिससे एनडीसी के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान मिलेगा।

भारत वर्ष 2030 तक भू-अवक्रमण तटस्थता और 26 मिलियन हे. अवक्रमित भूमि की बहाली प्रतिपादन को हासिल करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह वनों के संरक्षण और जैवविविधता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना और कार्बन सिंक में वृद्धि लाने में सहायता करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्तमान में नमभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 'राष्ट्रीय जलीय पारिप्रणालियों के संरक्षण की योजना (एनपीसीए) नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। एनपीसीए का लक्ष्य वांछित जलगुणवत्ता में वृद्धि और जैव-विविधता और पारिप्रणालियों में सुधार की प्राप्ति हेतु झीलों सहित नम-भूमियों के समग्र संरक्षण और पुर्नरूद्धार है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी वर्ष 2014 से राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (एनएपी) कार्यान्वित कर रहा है। पंद्रहवे वित्तीय आयोग ने अपने समस्तरीय अवक्रमण मानदंडों और महत्वों में वन और पारिस्थितिकी को 10% महत्व (वेटेज) दिया है।

******

अनुबंध

'कार्बनसिंक की क्षमताओं' के संबंध में दिनांक 19.03.2021 को उत्तर के लिए प्रो. रीता बहुगुणा जोशी और श्रीमती नवनित रवि राणा द्वारा पूछे गए के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4128 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वनीकरण / वृक्षारोपण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हे. में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	आंध्र प्रदेश	133618	274635	229409	312186	190432
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	एनआर	1861	1614	483
3.	असम	एनआर	एनआर	2085	1020	1394
4.	बिहार	41419	43279	35114	21446	10588
5.	छत्तीसगढ	133531	98697	26037	81644	18735
6.	गोवा	21	38	15	24	30
7.	गुजरात	150822	168733	177148	31712	25149
8.	हरियाणा	30643	25474	17000	15639	21022
9.	हिमाचल प्रदेश	11449	10052	9200	23406	20261
10.	जम्मू और कश्मीर	10863	7307	11371	एनआर	4526
11.	झारखंड	एनआर	21005	22729	15490	31476
12.	कर्नाटक	69093	61686	62108	41596	40304
13.	केरल	1117	46695	11477	12982	10274
14.	मध्य प्रदेश	7994	99197	125750	174309	76708
15.	महाराष्ट्र	55793	42100	37393	206615	501416
16.	मणिपुर	2855	12247	6442	5281	1856
17.	मेघालय	3186	एनआर	2743	780	785
18.	मिजोरम	एनआर	4050	4020	4407	4425
19.	नगालैंड	एनआर	एनआर	1539	1317	1468
20.	ओडिशा	170808	401452	382364	73994	84130
21.	पंजाब	2934	5469	6845	12177	24712
22.	राजस्थान	70893	66815	43873	34798	24533
23.	सिक्किम	1325	3376	365	41	2510
24.	तमिलनाडु	45129	39790	33147	40882	14532
25.	तेलंगाना	236598	438059	489673	453325	564760
26.	त्रिपुरा	2339	4070	4858	8112	33747
27.	उत्तराखंड	17846	18251	21397	20713	22396
28.	उत्तर प्रदेश	165867	92128	51513	एनआर	347670
29.	पश्चिम बंगाल	12169	2722	25186	30694	36597
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1300	1125	713	3896	2421
31.	चंडीगढ़	167	178	176	180	123
32.	दादर व नगर हवेली	225	220	200	21	225
33.	दमन और दीव	एनआर	10	15	एनआर	60
34.	दिल्ली	1498	1299	एनआर	एनआर	3956
35.	लक्षद्वीप	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	NR
36.	पुदुचेरी	86	250	63	52	80
	कुल	**1381596**	**1990409**	**1843829**	**1630352**	**2123786**
	एनआर: रिपोर्ट नहीं की गई					

*****